Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No.: F-8(119th BOM- By Circulation)/Academic-II /2018/24457 Date : 27/02/2018

119th Board of Management
27.02.2018 (By Circulation)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को आवश्यक सुझाव/अनुमोदन हेतु संचलन के माध्यम से (By Circulation) प्रेषित संशोधित एजेण्डा एवं प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय निम्नानुसार है :–

Revised Agenda : 1 **राज्य सरकार के निर्देशानुसार औषधि नियंत्रक अधिकारी (50 पद), खाद्य विश्लेषक (11 पद), मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल–894 पद) एवं मेडिकल ऑफिसर (दन्त–113 पद) पद सीधी भर्ती हेतु परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित करवाये जाने के संबंध में:–**

प्रवेश एवं परीक्षा भर्ती परीक्षा सेल, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर कि बैठक दिनांक 18.09.2017 के बिन्दु संख्या –4 एवं 5 में खाद्य विश्लेषक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों पर भर्ती राज्य सरकार के स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 में अनुमोदन हेतु रखा गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.09.2017 के टेबल एजेण्डा संख्या 18 में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-1(2)DOP/A-II/86 दिनांक 06.09.2011 द्वारा विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए भर्ती की कार्यवाही नही करने का उल्लेख किया गया है। अतः विचार–विमर्श कर खाद्य विश्लेषक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी भर्ती के संबंध में भर्ती एवं प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल राज.स्वा.वि.वि. जयपुर की बैठक दिनांक 18.09.2017 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन करते हुए उक्त दोनों भर्ती परीक्षाऐं विश्वविद्यालय स्तर पर नही कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार की अन्य कोई भर्ती की कार्यवाही लम्बित हो अथवा भविष्य में यदि कोई नई भर्ती हेतु निवेदन प्राप्त होता है तो विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भर्ती की कार्यवाही नहीं करने से राज्य सरकार को पत्र लिखे कर अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय के क्रम में राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 14798 दि. 17.11.2017 एवं 14810 दि. 17.11.2017 द्वारा खाद्य विश्लेषक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों पर भर्ती की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित नहीं कराये जाने बाबत् सूचित किया जा चुका है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार का पत्रांक 09.01.2018 के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) एवं मेडिकल ऑफिसर (दन्त) के पदों पर भर्ती की कार्यवाही कराने के लिए विश्वविद्यालय को अर्थना प्राप्त हुई। उक्त अर्थनाओं एवं कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-1(2)DOP/A-II/86 दिनांक 04.10.2013 के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार को विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 23563 दिनांक 14.02.2018 द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में वर्णित नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) के संबंध में राज्य सरकार से आवश्यक मार्गदर्शन चाहा गया था।

विश्वविद्यालय के पत्र के क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया गया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना F-1(2)DOP/A-II/86 दिनांक 04.10.2013 द्वारा किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में अंतिम विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी के स्थान पर कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा किये जाने का प्रावधान है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. नियुक्ति प्राधिकारी है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार है तथा इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। **(प्रति संलग्न)**

राज्य सरकार से निम्नलिखित पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अर्थनाऐं/निर्देश विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैः–

क.सं.	पदनाम जिस पर भर्ती की जानी है	पद संख्या	राज्य सरकार का आदेश / पत्र क.
1.	औषधि नियंत्रण अधिकारी	50	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 04.10.2017
2.	खादय विश्लेषक	11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 01.01.2018
3.	मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल)	894	निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार का पत्रांक 09.01.2018
4.	मेडिकल ऑफिसर (दन्त)	113	

उल्लेखनीय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नियम 19 के तहत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.01.2018 एंव संशोधित दिनांक 21.02.2018 द्वारा उपरोक्तानुसार चारों वर्ग के पदों पर भर्ती प्रकिया हेतु समितियों का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन राज.स्वा.वि.वि. के स्तर पर किये जाने के उपरान्त नियम 19 के तहत गठित उपरोक्त संबंधित समितियों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की मैरिट सूची बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी को भिजवाये जाने का प्रावधान है। **(प्रति संलग्न)**

राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में दिनांक 18.01.2018 को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में भी विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये है कि राज्य सरकार की सेवाओं के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती नहीं कराये जाने के प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 22.09.2017 पर पुनर्विचार किये जाने के निर्देश प्राप्त हुऐ है। **(प्रति संलग्न)**

अतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 16.02.2018 एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 18.01.2018 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में एवं राज्य सरकार का जनहित में चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल एवं दन्त), औषधि नियंत्रक अधिकारी एवं खादय विश्लेषक के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाकर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के औषधि नियंत्रक अधिकारी (50 पद), खादय विश्लेषक (11 पद), मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल–894 पद) एवं मेडिकल ऑफिसर (दन्त–113 पद) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अभ्यर्थनाओं के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटियों एवं उप–कमेटी के माध्यम से संयोजक एवं सह–संयोजक की नियुक्ति कर उपरोक्त वर्णित भर्ती परीक्षाऐं आयोजित किये जाने के उपरान्त परीक्षा परिणाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। इसके अतिरिक्ति विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरने का अनुमोदन भी किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Decision: राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में दिनांक 18.01.2018 को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में भी विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये है कि राज्य सरकार की सेवाओं के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती नहीं कराये जाने के प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 22.09.2017 पर पुनर्विचार किये जाने के निर्देश प्राप्त हुऐ है। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा भी निर्देश प्रदान किये गये, जिसमे राज्य सरकार के जनहित में चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल एवं दन्त), औषधि नियंत्रक अधिकारी एवं खादय विश्लेषक के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाकर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के औषधि नियंत्रक अधिकारी (50 पद), खादय विश्लेषक (11 पद), मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल–894 पद) एवं मेडिकल ऑफिसर (दन्त–113 पद) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अभ्यर्थनाओं के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी एवं संयोजक व सह–संयोजक की नियुक्ति कर उपरोक्त वर्णित भर्ती परीक्षाऐं आयोजित किये जाने के उपरान्त नियम–19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से परीक्षा परिणाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा इसके अतिरिक्ति विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरने का अनुमोदन भी किया गया।

Registrar & Member Secretary